# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलेयाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 155/2021  पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

**उनवान**

1 एजन पत्नि सकराम कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
2 कुलदीप पिता दुर्गालाल नाबालिग जरिये माता लाड देवी पत्नि दुर्गालाल कीर निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला,
3 कालू पिता रामलाल कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
4 तेजू पिता रंगलाल कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
5 पायल पुत्री दुर्गालाल नाबालिग जरिये माता लाड देवी पत्नि दुर्गालाल कीर निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला,
6 भवानी शंकर पिता सकराम कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
7 रतनी पत्नि रूपलाल कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
8 राजी पुत्री रूपलाल कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
9 रामधन पिता जुवारा कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
10 लाड देवी पत्नि दुर्गालाल कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
11 शंकरलाल पिता रूपलाल कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
12 सुमित्रा पुत्री सकराम कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
13 सुरज पिता दुर्गालाल नाबालिग जरिये माता लाड देवी पत्नि दुर्गालाल कीर निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला,
14 सुरजी पुत्री रूपलाल कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
15 सांवरा पुत्री रूपलाल कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
16 सीता पुत्री सकराम कीर उम्र वयस्क निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा

———( प्रार्थी)

बनाम

1 मदन पिता भैरू कीर उम्र वयरक निवासी राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
2 हगामीलाल पिता गंगाराम कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
3 यशपाल पिता गोपाल कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
4 चान्दमल पिता सांवरा कीर उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
5 मु.सुगनी पुत्री लादुलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
6 मेनेजर, राजस्थान बडौदा ग्रामीण बेंक शाखा सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा
7 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

————( अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री सुनील कुमार शर्मा

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात**

## निर्णय

दिनांक – 11.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कनेछनखुर्द पटवार मण्डल कनेछनखुर्द भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 132 के आ.न. 45, 46 किता 2 रकबा 1.11 हैक्टयर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 27.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम कनेछनखुर्द पटवार मण्डल कनेछनखुर्द भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 132 के **आ.न. 45, 46 किता 2 रकबा 1.11 हैक्टयर**, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक कनेछनकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकला जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा